महत्वपूर्ण / बजट 2025-2026

संख्या : 10/2024/बी-1-980/दस-2024-12(2)/2025

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक : 05 दिसम्बर, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-2026 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 6/2024/बी-1-852/दस-2024-12(2)/2025, दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा विभागों से व्यय के प्रस्ताव दिनाँक 30 नवम्बर, 2024 तक वित्त विभाग में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे । इसी क्रम में शासनादेश संख्या 8/2024/बी-1-900/दस-2024-12(2)/2025, दिनाँक 29 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विभागों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के दृष्टिगत चालू योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिये समीक्षा किये जाने एवं तद्नुसार आगामी बजट में व्यवस्था कराये जाने तथा इस सम्बन्ध में नई योजनायें, यदि कोई लाई जानी हैं, तो उनके लिये भी बजट व्यवस्था प्रस्तावित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2- उक्त शासनादेशों के क्रम में वित्त विभाग में दिनाँक 30 नवम्बर, 2024 तक जो भी विभागीय प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त हुये हैं उनके परीक्षण से यह प्रकाश में आया कि विभागीय प्रस्तावों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के सम्बन्ध में न तो चालू योजनाओं की समीक्षा की गयी है और न ही इस हेतु नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं । यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है ।

उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के विभागीय बजट अनुमानों हेतु प्रेषित किये गये चालू योजनाओं एवं नई योजनाओं के प्रस्तावों की पुनः समीक्षा करते हुये उपरोक्त प्रस्तर-2 के आलोक में पुनरीक्षित प्रस्ताव यदि कोई हों तो उन्हें दिनाँक 15 दिसम्बर, 2024 तक प्रत्येक दशा में वित्त विभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 10/2024/बी-1-980(1)/दस-2024-12(2)/2025, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2 **प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
3 **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4 **प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5 **सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।**
6 **प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
7 **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
8 **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9 **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
10 **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।**
11 **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
12 **गार्ड फाईल ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।